पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, कोटा
P.M. SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1, KOTA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

स्टेशन रोड, कोटा, (राजस्थान)-324002/ Station Road, Kota, (Rajasthan)-324002

दूरभाष-0744-2440105, ईमेल -kv1kota@gmail.com, वेबसाइट- www.no1kota.kvs.ac.in

के.मा.शि.बो. विद्यालय नं. 14166, के.मा.शि.बो. मान्यता सं. 1700016

फा. 28/2023-24/के.वि.1 कोटा — दिनांक: 17.10.2023

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, कोटा में परीक्षा विभाग से संबंधित पुराने उत्तर पुस्तिकाएं (रद्दी), पुस्तकालय के पुराने सामाचार पत्रों की रद्दी, विभिन्न प्रयोगशालाओं की पुरानी प्रायोगिक फाइलस एवं खेलकूद विभाग की भोज्य सामग्री जो कि अनुपयोगी है , की नीलामी दिनांक 19.10.2023 को प्रातः 11.30 से की जानी है । अतः इच्छुक व्यक्ति / **फर्म दी गई** दिनांक व समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । बोली में भाग लेने से पूर्व रू. 1000/– नकद अथवा डीडी बायाना राशि के रूप में जमा करवानी होगी । साथ ही बोली में भाग लेने से पूर्व एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, कोटा में उनका कोई भी सगा संबंधी कार्यरत नहीं है।"

सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरन्त जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामग्री को अपनी लागत पर तुरन्त अथवा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. दिनां 19.10.2023 को प्रातः 11.30 बजे से सार्वजनिक नीलामी की जाएगी ।

2. नीलामी में भाग लेने से पहले रुपए 1000/– मात्र की बयाना राशि/अर्नेस्ट मनी जमा करवानी होगी जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी " केंद्रीय विद्यालय नं.1,कोटा वीवीएन अकाउन्ट " के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद द्वारा दी जाएगी।

3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सामान बेचे जाएंगे। आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकार्य नहीं होगी।

4. सफल बोलीदाता को पूर्ण भुगतान 24 घन्टे के भीतर करना है जोकि केंद्रीय विद्यालय नं.1, कोटा, वीवीएन अकाउन्ट के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में होगा। ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त हो जाएगी शेष बोली दाताओं की ब्याना राशि बोली समाप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी।

5. इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा।
6. सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा की बोली राशि के भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर बोली में प्राप्त किए गए सामानों को उठवाना होगा। ऐसा ना करने पर विभाग के पास उनकी संपूर्ण राशि

जब्त करने का अधिकार होगा तथा सामान अन्य बोलीदाता को दे दिया जाएगा । सफल बोलीदाता को सामानों को उठाने के लिए वाहन,मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7. बोली राशि अंकों और शब्दों दोनो में दी जानी चाहिए। अंकों में किसी भी प्रकार की दोबारा लिखावट अथवा मिटाने इत्यादि पर दी गई दरों की स्वीकृति के संवंध में विचार नहीं किया जाएगा।
8. बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए पते के प्रमाण (मतदाता पहचानपत्र/आधार कार्ड) और पैनकार्ड की प्रति एवं संस्थान/दुकान का लेटरहेड अवश्य लाना होगा ।
9. बयाना राशि का डीडी अथवा नकद राशि बोली में भाग लेने के समय अवश्य साथ में लाये अन्यथा प्रारंभिक स्थिति में ही बोली रद्द कर दी जाएगी।
10. विद्यालय समिति एवं प्राचार्य,केन्द्रीय विद्यालय क्रं.1, कोटा को किसी भी समय विना कोई कारण बताए उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी को रद्द किया जा सकता है ।
11. इस संबंध में पार्टियों और बोलीदाताओं के किसी भी विवाद के लिए प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नं.1, कोटा का निर्णय अंतिम होगा ।

प्राचार्य

27/10/2023

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्र.1/Kendriya Vidyalaya No 1
कोटा, राजस्थान/Kota Rajasthan
पिन/PIN-324002

वितरण :– 1. विद्यालय नोटिस बोर्ड विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।
2. विद्यालय भवन का मैन गेट नोटिस बोर्ड विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।
3. विद्यालय वैबसाइट विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।
4. रेल्वे स्टेशन नोटिस बोर्ड विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।
5.स्थानीय बाजार में विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।